

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-18/2011

संस्थित दिनांक-12/01/2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

संदीप पिता सुरेश बैस उम्र-25 वर्ष,
 निवासी-बिरसा, थाना:बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-23/05/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-04.11.2010 को रात्रि 11:00 बजे स्थान मेन रोड बिरसा, थाना बिरसा, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक-सी.जी.04/एच.ए. 0538 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत गेंदलाल को टक्कर मारकर उपहति तथा घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गेंदलाल ,जो दरबारीटोला में रहता है और काफी समय से नागपुर-हैदराबाद में मजदूरी का कार्य करता है। घटना दिनांक को वह अपने भाई परदेशी तथा भाभी मीराबाई के साथ अपने घर दरबारीटोला जाने के लिए एस.के.एम बस से आया था। रात्रि में करीबन 11:00 बजे वह और उसका भाई परदेशी तथा उसकी भाभी बस के पिछले गेट से अंग्रेजी शराब दुकान के सामने उतारे और रोड पार कर जा रहे थे कि मरारीटोला दमोह तरफ से एक जीप तेजी से आती दिखाई दी, वह उससे बचता, लेकिन वह इतनी तेज गति एवं लापरवाही से गाड़ी चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी, जिससे

उसके पैरों में लगी जोरदार टक्कर से वह रोड पर दूर जा गिरा। गाड़ी की चपेट में आने से उसके भाई बचे। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक शराब दुकान के बोर्ड को कुचलता हुआ भाग गया। भागते समय उसने उक्त गाड़ी का नंबर देख लिया था, जो कि क्रमांक-सी.जी-04 एच.ए-0538 देख लिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता आरक्षक शत्रुघन पटले द्वारा सहायक उपनिरीक्षक पंकज द्विवेदी को देकर उनके हमराह अंग्रेजी शराब दुकान बिरसा पहुंचा तो उपनिरीक्षक पंकज द्विवेदी द्वारा फरियादी गेंदलाल परते की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-0/10, धारा-279, 337 लेख किया। जिसको असल नंबरी हेतु पुलिस थाना बिरसा भेजा जहां पुलिस थाना बिरसा द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-124/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत गेंदलाल की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04.11.2010 को रात्रि 11:00 बजे स्थान मेन रोड बिरसा, थाना बिरसा, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक-सी.जी.04/एच.ए. 0538 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को

उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत गेंदलाल को टक्कर मारकर उपहति तथा घोर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत गेंदलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष दिपावली के समय 4 तारीख की है। वह बिरसा ब्लॉक ऑफिस के पास से उतरकर खड़ा हुआ था। उसी समय बुलेरो वाहन तेज गति से आई और उसे टक्कर मार दी थी, जिससे उसके दोनों पैरों में चोट आई थी। उक्त वाहन को आरोपी चला रहा था और दुर्घटना उसकी गलती से हुई थी। उसका मुलाहिजा और ईलाज हुआ था। उसे बुलेरो को नंबर नहीं मालूम। उसने पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। घटना होते हुए परदेशी और मीराबाई ने देखे थे।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने दुर्घटना के बाद कोई रिपोर्ट नहीं की थी, साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपना सामान उतारने में था और उसका ध्यान वाहन की तरफ नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वाहन कितनी गति से आ रहा था, वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने वाहन की तरफ नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब दुर्घटना हुई, वह बेहोश हो गया था। इस प्रकार साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना के समय बस से उतरते समय सामान उतारते हुये उसने रोड से आते हुये वाहन को नहीं देखा। इस कारण उसके द्वारा उक्त वाहन के चालक को देखे जाने के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के द्वारा वाहन को दुर्घटना के पहले न देखे जाने तथा दुर्घटना के पश्चात बेहोश हो जाने से उसके द्वारा वाहन को कथित रूप से तेज गति से चलाये जाने और आरोपी की गलती होने के कथन आहत होने के कारण स्वाभाविक रूप से अपनी बात सत्य साबित करने के लिये किये गये हैं, किन्तु साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसने आरोपी को वाहन चलाते हुये नहीं देखा और न ही उसका ध्यान सामान उतारने के कारण उक्त वाहन के तरफ था, जिससे स्वयं उसकी लापरवाही होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

7— मीराबाई (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी संदीप को नहीं पहचानती। घटना करीब 3 वर्ष पुरानी रात्रि 10 बजे की है, वह गेंदलाल और परदेशी हैदराबाद से बस में बैठकर बिरसा आए थे। गेंदलाल उस समय रोड के किनारे खड़ा था, तो सामने से एक जीप का चालक शराब के नशे में तेज गति व हड़बड़ाहट में आकर गेंदलाल को टक्कर मार दिया। उक्त दुर्घटना में गेंदलाल के दोनों पैरों में चोट आई थी, जिससे उसके पैरों में अस्थिभंग हो गया था। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह बस के अन्दर थी, इस कारण दुर्घटनाकारित जीप किस गति से चल रही थी, वह नहीं बता सकती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बस में बैठे होने के कारण वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना कैसे हुई। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना के समय आरोपी दुर्घटनाकारित वाहन के चालक के रूप में पहचान नहीं की है और न ही दुर्घटना कैसे हुई, इस संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है। साक्षी के कथन से मात्र इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत गेंदलाल को दुर्घटना के समय पैर में अस्थिभंग हो गया था।

8— परदेशी (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी संदीप को नहीं पहचानता। आहत गेंदलाल उसका छोटा भाई है। घटना दिनांक को वे बालाघाट से बिरसा बस में आए थे। बिरसा पहुंचकर जब बस रूकी तो उसका छोटा भाई गेंदलाल बस से पहले उतर गया, तो दमोह तरफ से आ रही जीप ने गेंदलाल को टक्कर मार दी। घटना के समय जीप कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। गेंदलाल को उक्त दुर्घटना में पैर में चोट आई थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब दुर्घटना हुई तो वह बस से उतर रहा था तथा बस में अन्दर होने के कारण वह जीप को नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने जीप के चालक को नहीं देखा और दुर्घटना के समय जीप किस गति से चल रही थी, नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

9— डॉ. मेश्राम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.11.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के सैनिक दलपत क्रमांक-304 द्वारा आहत

गेंदलाल पिता भादू उम्र-46 वर्ष, निवासी दरबारीटोला को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहत के बाएं पैर की टीबीया हड्डी टूटी हुई और उसी जगह कटी-फटी चोटे पाई थी, जिससे रक्तस्राव हो रहा था। उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट किसी कड़े एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी तथा गंभीर प्रकृति की थी। आहत की हड्डी टूटने की संभावना को देखते हुए उसने आहत को एकसरे हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ बालाघाट के पास जाने की सलाह दी थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से चलती हुई जीप से टकरा जाए तो उक्त प्रकार की चोट आ सकती है। स्वतः साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत गेंदलाल को घटना के समय अस्थिभंग होने से उसे घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

10— अलीम जिलानी (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे लगभग 22 वर्ष से ट्रैक्टर चलाने एवं सुधारने का अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक-01.07.2010 को आयसर कम्पनी के ट्रैक्टर का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 दिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त ट्रैक्टर में उसने टूट-फूट होना पाया था, जिसका विस्तृत वर्णन उसके द्वारा प्रदर्श पी-13 की रिपोर्ट में क्रमांक-1 से 13 में दिया गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह जब अपने काम से थाने गया था तो पुलिस के कहने पर उसने परीक्षण प्रतिवेदन लिखकर दिया था। साक्षी के कथन अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है। साक्षी ने घटना के समय दुर्घटनाकारित वाहन के स्टेरिंग एवं ब्रेक फेल होने की पुष्टि की है। उक्त तथ्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि आरोपी की उक्त दुर्घटना में कोई गलती न होकर यांत्रिकी त्रुटि व वाहन की खराबी होने से उक्त दुर्घटना घटित हुई है। इसके अलावा यह भी संभावना प्रकट होती है कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन का उचित रख-रखाव व मरम्मत का कार्य न कर उतावलेपन, उपेक्षा व लापरवाही बरती गई है, जिस कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई, किन्तु अभियोजन का यह मामला नहीं है कि आरोपी के वाहन के उचित रख-रखाव के अभाव में दुर्घटना कारित हुई।

11— साक्षी पंकज द्विवेदी (अ.सा.क.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक- 05/11/2010 को थाना बिरसा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ

था। उक्त दिनांक को रात्रि में बिरसा में वाहन दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त होने पर अस्पताल बिरसा गया था जहां फरियादी गेंदलाल परते ने साक्षी को एक्सीडेंट होने संबंधी सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई था। जिस पर साक्षी द्वारा अपराध क्रमांक— 0/2010 पर धारा—279, 337 भा.द.सं. के अन्तर्गत वाहन बुलेरो सी.जी. 04 एच ए0 0538 के चालक के विरुद्ध देहाती नालिशी लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने फरियादी का मुलाहिजा फार्म भरकर भेजा था। इस साक्षी ने अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि देहाती नालिशी में किसी आरोपी का नाम दर्ज नहीं था, असल अपराध प्रधान आरक्षक सुरेश कुमार विजेयवार द्वारा पंजीबद्ध किया गया था। किन्तु इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि साक्षी द्वारा देहाती नालिशी प्रदर्श पी-1 में वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर बाद में दर्ज किया गया था तथा साक्षी आहत गेंदलाल से मिलकर वाहन क्रमांक— बुलेरो सी.जी. 04 एच ए0 0538 के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकार साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। यद्यपि, साक्षी ने चालक के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। इस प्रकार यदि वास्तव में दुर्घटनाकारित वाहन के चालक को मौके पर देखा जाकर उसकी पहचान की जाती तो निश्चित ही चालक के रूप में आरोपी का नाम रिपोर्ट में दर्ज किया जाता।

12— साक्षी शत्रुघ्न पटले (अ.सा.क्र.—4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक— 05/11/2010 को थाना बिरसा में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये 0/2010 की नालिशी प्राप्त होने पर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा लेकर गया था, और थाना के अपराध क्र.— 124/2010 पर धारा— 279, 337 भा.द.सं. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-3 है और अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-3 की रिपोर्ट उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में दर्ज कराया था। किन्तु इस बात से इंकार किया है कि प्रदर्श पी-3 की रिपोर्ट झूठी दर्ज की थी। साक्षी ने मामले में थाना—बिरसा में असल कायमी किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

13— अनुसंधान अधिकारी साक्षी एम.एस. उइके (अ.सा.क्र.—7) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि दिनांक—05/11/2010 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये उसे अपराध क्र.— 124/2010, धारा—

279, 337 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान साक्षी द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा साक्षी परदेशी की निशांदाही पर प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया, जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा आगे कथन किया गया है कि विवेचना के दौरान उसने साक्षी परदेशी, मीराबाई, मुकेश और साक्षी गेन्दलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक- 07/11/2010 को आरोपी संदीप से साक्षियों के समक्ष वाहन बोलेरो क्र. सी.जी. 04 एच.ए. 0538 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इसी साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने आरोपी संदीप को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा वाहन बोलेरो का मैकेनिकल परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न किया था। विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी को सौंप दिया था।

14— साक्षी एम.एस. उईके (अ.सा.क्र.-7) ने अपने प्रति-परीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि— प्रदर्श पी-4 का नक्शा मौका उसने थाना में बैठकर तैयार किया था, उसके द्वारा आरोपी से कोई जप्ती नहीं की गई थी, जप्ती की कार्यवाही थाना में बैठकर किया था, उसके द्वारा वाहन का कोई मैकेनिकल परीक्षण नहीं कराया गया था, उसके द्वारा साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये गये थे, वाहन परीक्षण रिपोर्ट में उसने परीक्षणकर्ता के कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था और आरोपी के विरुद्ध झूठा मामला बना लिया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

15— प्रकरण में एक मात्र साक्षी स्वयं आहत गेन्दलाल (अ.सा.क्र.-2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान की है, किन्तु उसके प्रति-परीक्षण में किये गये कथन से स्पष्ट होता है कि उसने घटना होने के पहले दुर्घटनाकारित वाहन को नहीं देखा था तथा घटना के पश्चात वह बेहोश हो गया था। ऐसी दशा में साक्षी का आरोपी की पहचान कथित दुर्घटनाकारित वाहन के चालक के रूप में पहचान किया जाना संदेहास्पद प्रकट होता है। वैसे भी इस साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि घटना के समय वह बस से अपना सामान उतारने में उसका ध्यान रास्ते से आ रहे वाहन की ओर नहीं गया, जिस कारण दुर्घटना कारित हुई थी। ऐसी दशा में इस साक्षी के कथन से आरोपी के द्वारा वाहन चलाये जाने और वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाये

जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

16— अभियोजन की ओर से आहत गेंदलाल के अलावा जिन चक्षुदर्शी साक्षीगण मीरा बाई (अ.साक.5) एवं परदेशी (अ.साक.6) की साक्ष्य कराई है, इन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान नहीं की है। इन साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि घटना के समय वह बस के अन्दर थे तथा उन्हें दुर्घटनाकारित वाहन जीप दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कथित जीप के चालक के द्वारा वाहन उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किया जा रहा था। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही कथित वाहन का चालन किया जा रहा था। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि कथित दुर्घटनाकारित वाहन के चालक के द्वारा लोक मार्ग पर वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

17— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से मात्र यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आहत गेंदलाल को घटना के समय वाहन के टक्कर लगने से घोर उपहति कारित हुई थी। प्रकरण में उक्त चक्षुदर्शी साक्षी के कथन से आरोपी की दुर्घटना में गलती होना प्रमाणित नहीं होता है तथा समर्थनकारी साक्ष्य से आरोपी के द्वारा उक्त वाहन का चालन कर वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी को उत्तरदायी ठहराये जाने हेतु अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है, जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक-सी.जी.04/एच.ए. 0538 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत गेंदलाल को टक्कर मारकर उपहति तथा घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 19— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।
- 20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बुलेरी क्रमांक—सी.जी.04/एच.ए. 0538 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार आशीष पटले पिता मोहनलाल पटले, निवासी ग्राम—बिरसा, थाना—बिरसा, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)